[2018], 13 एस.सी.आर. 936

प्रकाश चंद डागा

बनाम सवेता शर्मा और अन्य।

(2018 की सिविल अपील संख्या 11369) 14 दिसंबर, 2018

[उदय उमेश ललित और

डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़, जेजे।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 – धारा 2 (30), 50 और 177 – मुआवजा – एक कार के मूल मालिक अपीलकर्ता ने उक्त वाहन को पहले प्रतिवादी को बेच दिया – वाहन एक दुर्घटना में शामिल हो गया – दूसरे प्रतिवादी को चोटें आईं – दूसरे प्रतिवादी द्वारा दावा याचिका – ट्रिब्यूनल ने 12.47 लाख रुपये के मुआवजे का आकलन किया और दायित्व चालक और पहले प्रतिवादी पर तय किया गया – उच्च न्यायालय ने फैसले को इस हद तक संशोधित किया कि बीमा कंपनी मुआवजे के लिए उत्तरदायी थी और बीमा कंपनी को वाहन के अपीलकर्ता–पंजीकृत मालिक से इसे वसूलने के लिए वसूली अधिकार दिए गए थे – अपील पर, कहा गयाः यह तय किया गया है कि केवल इसलिए कि वाहन को स्थानांतरित कर दिया गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे पंजीकृत मालिक को किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति अपनी देयता से मुक्त कर दिया जाता है – जब तक कि उसका नाम आरटीओ रिकॉर्ड में जारी रहता है, इस प्रकार, उच्च न्यायालय अपने निष्कर्ष में सही था कि वाहन की बिक्री के बावजूद, अधिनियम की धारा 50 के अनुसार स्वामित्व का कोई हस्तांतरण नहीं किया गया था और अपीलकर्ता वाहन का मालिक बना रहा।

अपील को खारिज करते हुए, अदालत ने

कहाः 1. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 50 समय सीमा निर्धारित करती है जिसके भीतर हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता को हस्तांतरण के तथ्य की सूचना देने की आवश्यकता होती है। उक्त धारा 50 की उप–धारा 3 के अनुसार, यदि स्थानांतरण के तथ्य की सूचना देने में विफलता होती है, तो जुर्माना लगाया जा सकता है और उसके बाद धारा 177 के तहत कार्रवाई की जा सकती है यदि जुर्माना की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है। ये समयसीमा और दायित्व केवल स्थानांतरण की सूचना को सुविधाजनक बनाने के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि यदि उक्त स्थानांतरण की सूचना के लिए निर्धारित अवधि के भीतर कोई दुर्घटना होती है, तो हस्तांतरणकर्ता को दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है। [पैरा 5], [939–डी–ई]

2. अधिनियम के अध्याय XII में दावा अधिकरणों के बारे में बताया गया है और यह भी बताया गया है कि मुआवजे के आवेदनों को किस प्रकार प्राथमिकता दी जाए और उनका निपटारा कैसे किया जाए। ऐसे दावों पर विचार करते समय, किसी दुर्घटना के मामले में दावा न्यायाधिकरण को उस राशि को निर्दिष्ट करना आवश्यक है जो दुर्घटना में शामिल वाहन के बीमाकर्ता या मालिक या चालक द्वारा भुगतान की जाएगी या क्या ऐसी राशि का भुगतान सभी या किसी के द्वारा किया जाएगा, जैसा भी मामला हो। यह अच्छी तरह से तय है कि इस तरह के दायित्व को तय करने के प्रयोजनों के लिए स्वामित्व की अवधारणा को अधिनियम की धारा 2 (30) में परिभाषित 'स्वामी' की विशिष्ट परिभाषा के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। [पैरा 6], [939–ई–एफ]

3. उच्च न्यायालय ने पाया कि वाहन की बिक्री के बावजूद, अधिनियम की धारा 50 के अनुसार स्वामित्व का कोई हस्तांतरण नहीं किया गया था और इस तरह अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 2 (30) में शामिल परिभाषा के संदर्भ में मालिक बना रहा। उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार करने में बिल्कुल सही था। अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई चुनौती विफल होनी चाहिए। [पैरा 3 और 9], [938–ई–एफ 941–एफ]

नवीन कुमार बनाम विजय कुमार एवं अन्य (2018) 9 एससीसी

1: [2017] 12 एससीआर 805 पुष्पा उर्फ लीला एवं अन्य

बनाम शकुंतला एवं अन्य। (2011) 2 एससीसी 240: [2011], 1 एससीआर

334 – पर भरोसा किया।

वाद विधि संदर्भ [2017], 12 एससीआर 805 पैरा 8 [2011], पर भरोसा किया गया 1 एससीआर 334 पैरा 7 पर भरोसा किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2018 का सिविल अपील सं0 11369.

2011 के एफ.ए.ओ. सं0 7010 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंढ़ीगढ़ के दिनांक 05.04.2018 के निर्णय और आदेश से।

सिद्धार्थ एच. रावल, प्रशांत कुमार, जोसेफ पुक्कट, मेसर्स एपी एंड जे चौंबर्स, अपीलकर्ता के अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय द्वारा सुनाया गया,

उदय उमेश ललित, जे.

1. यह अपील एफ.ए.ओ. सं0 7010/2011 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंढ़ीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 05.04.2018 के निर्णय और आदेश को चुनौती देती है।

2. अपीलकर्ता, एक सैंट्रो कार के मूल मालिक ने उक्त वाहन को सुश्री सवेता शर्मा, प्रथम प्रतिवादी को 11.09.2009 को विक्रय कर दिया। अपीलकर्ता के अनुसार, उचित विचार प्राप्त करने के बाद, कब्जा उक्त पहले प्रतिवादी को हस्तांतरित कर दिया गया था। दिनांक 09–10–2009 को एक दुर्घटना हुई जिसमें एक राकेश कुमार, दूसरा प्रतिवादी, घायल हो गया। दूसरे प्रतिवादी द्वारा दायर किए गए दावे में, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने मुआवजे का आकलन 12.47 लाख रुपये किया और निम्नानुसार निर्देश दियाः

''32. उपर्युक्त विभिन्न विवाद्कों पर मेरे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, दावा याचिका को लागत के साथ स्वीकार किया जाता है और दावेदार को कुल 12,47,739/– रुपये (बारह लाख सैंतालीस हजार सात सौ उनतालीस रुपये मात्र), चिकित्सा व्यय आदि के लिए 11,58,489 रुपये का मुआवजा. दर्द और पीड़ा के मुआवजे के रूप में 60,000 रुपये. आय के नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में 18,000 रुपये. प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को स्वयं के अस्थायी विकलांगता के लिए मुआवजे के रूप में 11,250 रुपये का मुआवजा दिया जाता है। प्रचलित ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए, दावेदार याचिका दायर करने की तारीख से अंतिम वसूली तक 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उपरोक्त दी गई राशि पर ब्याज का भी हकदार होगा। मुआवजे का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी नंबर 2 और 3 की देयता संयुक्त एवं पृथक होगी। लागत का मेमो तैयार किया जाए और फाइल को दाखिल अभिलेखागार किया जाये। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018], 13 एस.सी.आर.

3. चूंकि दायित्व चालक और पहले प्रतिवादी पर लगाया गया था, इसलिए उनके द्वारा एफ.ए.ओ. संख्या 7010/2011 दायर करके उच्च न्यायालय में उपरोक्त निर्णय को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने पाया कि 11.09.2009 को वाहन की बिक्री के बावजूद, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 50 (संक्षेप में 'अधिनियम') के अनुसार स्वामित्व का कोई हस्तांतरण नहीं किया गया था और इस तरह अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 2 (30) में शामिल परिभाषा के संदर्भ में मालिक बना रहा। नवीन कुमार बनाम विजय कुमार एवं अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विश्वास करते हुए उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला.

''उपरोक्त निर्णय के अनुपात को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए

, पंचाट को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है कि बीमा कंपनी दावेदार को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है और बीमा कंपनी के पास पंजीकृत मालिक यानी उल्लंघन करने वाले वाहन के प्रतिवादी नंबर 1 से इसे वसूलने का अधिकार होगा। राशि के वितरण की शेष शर्तों अपरिवर्तित रहेंगी।'' (2018) 3 एससीसी 1

प्रकाश चंद डागा बनाम सवेता शर्मा एवं अन्य।

[उदय उमेश ललित, जे]

4. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दुर्घटना स्थानांतरण के तीस दिनों के भीतर हुई थी जब अधिनियम की धारा 50 (1) (बी) के तहत निर्धारित वैधानिक अवधि समाप्त नहीं हुई थी और इस तरह वर्तमान अपीलकर्ता पर दायित्व नहीं डाला जा सकता था। हालांकि सेवा दी गई है, हस्तांतरणकर्ता, अर्थात पहले प्रतिवादी ने मामले में उपस्थित नहीं होने चुना है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया है और अपीलकर्ता और बीमा कंपनी के अधिवक्ता द्वारा दी गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

5. यह सच है कि अधिनियम की धारा 50 के अनुसार, वाहन का हस्तांतरण बिक्री के 30 दिनों के भीतर पंजीकृत किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 50 (1) स्थानांतरणकर्ता को स्थानांतरण के 14 दिनों के भीतर स्थानांतरण के तथ्य की सूचना करने के लिए बाध्य करती है। यदि वाहन राज्य के बाहर बेचा जाता है, तो हस्तांतरण की सूचना देने की अवधि बढ़ जाती है। दूसरी ओर, हस्तांतरणकर्ता भी पंजीकरण प्राधिकरण को स्थानांतरण की सूचना करने के लिए बाध्य है, जिसके अधिकार क्षेत्र में

हस्तांतरणकर्ता का निवास या व्यवसाय का स्थान है जहां वाहन सामान्य रूप से रखा जाता है। इस प्रकार धारा 50 उस समय सीमा को निर्धारित करती है जिसके भीतर हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणती को स्थानांतरण के तथ्य की सूचना करने की आवश्यकता होती है। उक्त धारा 50 की उप–धारा 3 के अनुसार, यदि स्थानांतरण के तथ्य की सूचना करने में विफलता होती है, तो जुर्माना लगाया जा सकता है और उसके बाद धारा 177 के तहत कार्रवाई की जा सकती है यदि जुर्माना की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है। ये समयसीमा और दायित्व केवल स्थानांतरण की सूचना को सुविधाजनक बनाने के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि यदि उक्त स्थानांतरण की सूचना के लिए निर्धारित अवधि के भीतर कोई दुर्घटना होती है, तो हस्तांतरणकर्ता को दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है।

6. अधिनियम के अध्याय XII में दावा अधिकरणों के बारे में बताया गया है कि मुआवजे के आवेदनों को किस प्रकार प्राथमिकता दी जाए और उनका निपटारा कैसे किया जाए। ऐसे दावों पर विचार करते समय, किसी दुर्घटना के मामले में दावा न्यायाधिकरण को उस राशि को निर्दिष्ट करना आवश्यक है जो दुर्घटना में शामिल वाहन के बीमाकर्ता या मालिक या चालक द्वारा भुगतान की जाएगी या क्या ऐसी राशि का भुगतान सभी या किसी के द्वारा किया जाएगा, जैसा भी मामला हो। यह अच्छी तरह से तय है कि इस तरह के दायित्व को तय करने के प्रयोजनों के लिए स्वामित्व की अवधारणा को अधिनियम की धारा 2 (30) में परिभाषित 'स्वामी' की विशिष्ट परिभाषा के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

7. पुष्पा उर्फ लीला एवं अन्य बनाम शकुंतला एवं अन्य मामले में वाहन जितेंद्र गुप्ता का था, जो इसके पंजीकृत स्वामी थे। उन्होंने 02.02.1993 को सालिग राम को उक्त वाहन बेच दिया और हस्तांतरणकर्ता को इसका कब्जा दे दिया। उक्त बिक्री के बावजूद, पंजीकरण प्रमाण पत्र में स्वामित्व का परिवर्तन दर्ज नहीं था। (2011)2 एससीसी 240

पहले की बीमा पॉलिसी समाप्त होने के बाद, हस्तांतरणकर्ता ने मूल मालिक जितेंद्र गुप्ता के नाम पर नई बीमा पॉलिसी ली। दिनांक 07–05–1994 को हुई एक दुर्घटना में दो व्यक्तियों की जान चली गई। उत्तराधिकारियों और विधिक प्रतिनिधियों ने अलग–अलग दावे दर्ज किए और एक मुद्दा उठा कि मालिक के रूप में कौन उत्तरदायी था। यह दलील कि पंजीकृत मालिक जितेंद्र गुप्ता का वाहन पर कोई नियंत्रण नहीं था और वाहन का कब्जा और नियंत्रण हस्तांतरणती के हाथों में था और इस तरह हस्तांतरणकर्ता पर कोई दायित्व नहीं डाला जा सकता था, इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसे पैरा 11 में निम्नानुसार देखा गया था:

''11. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वाहन की बिक्री के बावजूद न तो हस्तांतरणकर्ता जितेंद्र गुप्ता और न ही हस्तांतरणी सालिग राम ने वाहन के पंजीकरण के प्रमाण पत्र में मालिक के नाम को बदलने के लिए कोई कदम उठाया। इस लोप को ध्यान में रखते हुए जितेंद्र गुप्ता को अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वाहन के मालिक के रूप में जारी रखने के लिए माना जाना चाहिए, भले ही सिविल विधि के तहत वह 2.2.1993 को इसकी बिक्री के बाद इसके मालिक नहीं रहे।''

8. नवीन कुमार (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय में कानूनी स्थिति का

उल्लेख किया गया था और इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

13. उपरोक्त निर्णयों से जो सुसंगत तर्क उभरता है, वह यह है कि धारा 2 (30) में ''मालिक'' शब्द की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, यह वह व्यक्ति है जिसके नाम पर मोटर वाहन पंजीकृत है, जिसे अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ''मालिक'' के रूप में माना जाएगा। हालांकि, जहां कोई व्यक्ति नाबालिग है, नाबालिग के अभिभावक को मालिक के रूप में माना जाएगा। जहां एक मोटर वाहन अवक्रय, पट्टे या गिरवी के अधीन है, उस करार के अन्तर्गत वाहन के कब्जे वाले व्यक्ति को मालिक के रूप में माना जाता है। वर्तमान जैसी स्थिति में जहां पंजीकृत मालिक ने वाहन को स्थानांतरित करने का दावा किया है, लेकिन वाहन के मालिक के रूप में पंजीकरण प्राधिकरण के रिकॉर्ड में परिलक्षित होता है, वह दायित्व से मुक्त नहीं होगा। संसद ने जानबूझकर धारा 2 (30) में ''मालिक'' शब्द की परिभाषा पेश की है, जो पहले के 1939 के अधिनियम में धारा 2 (19) के प्रावधानों से अलग है। धारा 2 (30) के प्रावधानों में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि मोटर दुर्घटना के पीड़ित या, मृत्यु के मामले में, मृतक पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारियों को अनिश्चितता की स्थिति में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मुआवजे के दावेदार पर लगातार तबादलों का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए जो पंजीकरण प्राधिकारी के यहां पंजीकृत नहीं है।

अन्यथा धारण करना अधिनियम के हितकारी उद्देश्य और प्रयोजन को विफल करना होगा। इसलिए, किये गये निर्वचन को कानून के उद्देश्य की पूर्ति को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। वर्तमान मामले में, पहला प्रतिवादी धारा 2 (30) के अर्थ के भीतर दुर्घटना में शामिल वाहन का ''मालिक'' था। मुआवजे का भुगतान करने की जिम्मेदारी उस पर है। बेशक, वाहन का बीमा नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने रेशमा (2015) 3 एससीसी 679 और पूर्णा कला देवी (2014) 14 एससीसी 142 में इस न्यायालय के

निर्णय के गलत निर्माण पर कार्रवाई की है। 14. याचिकाकर्ता की दलील है कि हस्तांतरण को सूचित करने में विफलता के परिणामस्वरूप केवल धारा 50 (3) के तहत जुर्माना लगेगा, लेकिन वाहन के हस्तांतरण को अमान्य नहीं किया जाएगा। टीवी जोस (2001)8 एससीसी 748, में इस न्यायालय ने कहा कि कार के प्रतिफल के भुगतान और अन्तरण से स्वामित्व का हस्तांतरण किया जा सकता है। लेकिन अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, वह व्यक्ति जिसका नाम पंजीकरण प्राधिकरण के अभिलेख में परिलक्षित होता है, वह स्वामी है। धारा 2 (30) के अर्थ में स्वामी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। कानून के आदेश को पूरा किया जाना चाहिए।

9. इस प्रकार विधि पूर्ण स्थापित है और संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता हैः— ''भले ही कानून में वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण हो गया हो, किन्तु यह स्वयं में, उस पक्ष को, जिसके नाम पर वाहन आरटीओ अभिलेख में है, किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति दायित्व से मुक्त नहीं करेगा... मात्र इसलिए कि वाहन को स्थानांतरित कर दिया गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे पंजीकृत स्वामी को किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति अपने दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। जब तक उसका नाम आरटीओ अभिलेख में जारी रहता है, तब तक वह किसी तीसरे व्यक्ति के लिए उत्तरदायी रहता है।'' 3 इसलिए उच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति देने में बिल्कुल सही था। अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई चुनौती विफल होनी चाहिए। 10. इस अपील को खारिज किया जाता है। कोई खर्चे नहीं।

अंकित ज्ञान

अपील खारिज।

5 पी.पी. मोहम्मद बनाम के राजप्पन एवं अन्य।
(2008) 17 एससीसी 624 पैरा 4।

(विजय शंकर गौतम)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
बाह्य न्यायालय बहेड़ी, जनपद बरेली।